राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005

Ph. 0141-2227665, 2227514 Fax No. 2227147 E-mail rajseedsmarketing@gmail.com

CIN-U75132RJ1978SGC001781 www.rajseeds.org

F6()Mktg/Mktg Policy/ 2021-22/ दिनांक :

परिपत्र

विपणन नीति परिपत्र क्रमांक F6()Mktg/MktgPolicy/2021-22/13631-13735 दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी वर्तमान में विपणन नीति अनुसार निजी एवं सहकारी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं तथा अन्य संस्थाओं उनके द्वारा किये गये गैर अनुदानित बीजो के कारोबार के अनुसार विक्रय दर पर निम्नानुसार अतिरिक्त व्यापारिक छूट देय है:–

कारोबार राशि	देय अतिरिक्त व्यापारिक छूट
0 से 25 लाख रूपये तक	0 प्रतिशत
25 से 50 लाख रूपये तक	0.5 प्रतिशत
50 से 100 लाख रूपये तक	1 प्रतिशत (50 लाख से अधिक के कारोबार पर देय होगी)
100 से 150 लाख रूपये तक	1.50 प्रतिशत (100 लाख से अधिक के कारोबार पर देय होगी)
150 से 200 लाख रूपये तक एवं अधिक पर	2 प्रतिशत (150 लाख से अधिक के कारोबार पर देय होगी)

निदेशक मण्डल की 228वीं बैठक अनुमोदनानुसार राजसीड्स द्वारा व्यापार संवर्द्धन हेतु निजी एवं सहकारी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं तथा अन्य संस्थाओ उनके द्वारा किये गये गैर अनुदानित बीजो के कारोबार के अनुसार विक्रय दर पर देय अतिरिक्त व्यापारिक छूट (स्लैब) में एवं अन्य सुविधाओ में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

1. देय अतिरिक्त व्यापारिक छूट (स्लैब)–

कारोबार राशि	देय अतिरिक्त व्यापारिक छूट
0 से 25 लाख रूपये तक	0.5 प्रतिशत
25 से 50 लाख रूपये तक	1 प्रतिशत (प्रारम्भिक स्तर से देय)
50 से 100 लाख रूपये तक	1.5 प्रतिशत (प्रारम्भिक स्तर से देय)
100 से 150 लाख रूपये तक	2 प्रतिशत (100 लाख से अधिक के कारोबार पर देय)
150 से 200 लाख रूपये तक एवं अधिक पर	2.5 प्रतिशत (150 लाख से अधिक के कारोबार पर देय)

2. निजी/सहकारी क्षेत्र के विक्रेताओं को अन्य सुविधायें:–

यदि निगम द्वारा अग्रिम उठाव/अग्रिम आरक्षण योजना लागू नही की जाती है तो सामान्य परिस्थिति में विक्रेता द्वारा खरीफ सीजन के लिये 15 मई तक एवं रबी सीजन के लिये 15 सितम्बर तक 100 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर 50 लाख से अधिक कारोबार पर 1 प्रतिशत

कैश डिस्काउन्ट (सी.डी.) देय होगा। बीज का उठाव सीजन पूर्व किया जावेगा। यदि सीजन समाप्ति से पूर्व बीज का उठाव नही किया जावेगा तो राशि जब्त कर ली जावेगी।

उक्त विपणन नीति संशोधन रबी 2022—23 से अग्रिम आदेशो तक प्रभावी रहेगा।

(जसवन्त सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
(DIN 08383856)

F6. ( )Mktg/Mktg Policy/2020-21/ दिनांक :

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—</u>

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि, एवं आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/अनुसंधान/विस्तार) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/आइसोपॉम/आदान) राजस्थान, जयपुर/समस्त संभाग।
4. उप निदेशक कृषि (बीज/सूचना)राजस्थान, जयपुर/उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक, वित्त/विधायन/उत्पादन, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि., जयपुर।
6. कम्पनी सचिव, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि., जयपुर।
7. क्षेत्रीय/संयंत्र प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो. लि., समस्त को भेजकर पालनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र के निजी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं को अपने स्तर से अवगत करवानें का श्रम करें। विपणन नीति मे अंकित इकाईयो से सम्बधित सभी दिशा—निर्देशो की शत—प्रतिशत पालना सुनिश्चित करे।
8. सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार राजसीड्स समस्त इकाईयां को पालनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक